भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2738

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा

2738 # **श्री महेंद्र भट्टः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड के युवाओं को स्थानीय रोजगार एवं नौकरी अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल आधारित शिक्षा, नवाचार, स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तराखंड राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): सरकार ने विद्यार्थियों में कौशल-आधारित शिक्षा, नवाचार, स्टार्ट-अप, उद्यमशीलता और उद्योग संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि उनकी रोज़गार प्राप्ति की क्षमता को बढ़ाया जा सके और स्थानीय रोजगार व स्वरोज़गार संबंधी अवसरों तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाया जा सके। केंद्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुरूप कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों में कक्षा IX से XII तक मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा को एकीकृत किया गया है। उत्तराखंड में, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कौशल शिक्षा हेतु 876 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 378 स्कूलों में कौशल प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं और 358 स्कूलों में कौशल पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें 27,510 विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम श्री योजना के अंतर्गत कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें

उत्तराखंड में संस्वीकृत 207 पीएम श्री स्कूलों में से 181 स्कूलों में कौशल प्रयोगशालाएँ कार्यात्मक हैं। स्थानीय कारीगरों और विशेषज्ञों का अनुभव प्राप्त करने सहित एनसीईआरटी की कौशल बोध गतिविधि पुस्तकों के द्वारा स्थानीय कौशल और 10 बैगलेस दिनों के माध्यम से अनुभवात्मक अधिगम द्वारा कक्षा VI-VIII के विद्यार्थियों को स्थानीय कौशल का अनुभव भी प्रदान किया जाता है। इन पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कौशल विकास और इको-पर्यटन, जैविक कृषि, आयुष/हर्बल उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी-आईटीईएस सहित स्थानीय आर्थिक अवसरों से संबंधित क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

उच्चतर शिक्षा में, सामुदायिक कॉलेजों, बी.वोक डिग्री कार्यक्रमों और दीन दयाल उपाध्याय ज्ञानार्जन और कुशल मानव क्षमता और आजीविका उन्नयन केंद्र (डीडीयू-कौशल) के माध्यम से कौशल-आधारित शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) सामान्य और कौशल शिक्षा के बीच क्रेडिट गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है। संस्थागत नवाचार परिषदें (आईआईसी), अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और आईडीईए प्रयोगशालाएँ अनुभवात्मक शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। प्रशिक्षुता, औद्योगिक प्रशिक्षण, परियोजना कार्य, समझौता ज्ञापनों और प्रशिक्षुता के अवसरों के माध्यम से उद्योग-संस्थान संबंध विद्यार्थियों को उद्योग और रोजगार के अनुभव प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को सुव्यवस्थित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, कार्यगत प्रशिक्षण और औद्योगिक अनुभव प्रदान करके अकादमिक अधिगम और उद्योग संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करती है। विगत पांच वर्षों के दौरान, उत्तराखंड के 29,195 प्रशिक्षुओं ने एनएटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यूजीसी और एआईसीटीई ने अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी), 2025 के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

डिजाइन-संचालित नवाचार, कौशल-आधारित शिक्षा और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल (एनआईडीआई) योजना कार्यान्वित की गई है। इस राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अंतर्गत, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) काशीपुर में डिज़ाइन नवाचार केंद्र (डीआईसी) 'नवाशय' को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जो नोडल हब के रूप में डीआईसी आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर हब-एंड-स्पोक मॉडल पर कार्य करता है। उत्तराखंड के युवाओं को स्थानीय रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसरों से जोड़ने के लिए, केंद्र सरकार स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम और

कार्यशाला आयोजित करती है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 'ह्यूमन-सेंटर्ड डिज़ाइन थिंकिंग' और 'स्टार्टअप इनक्यूबेशन' पर बल दिया जाता है। इनमें हिमालयी शिक्षा अधिगम कार्यक्रम (एचईएलपी), हिमालयी उत्थान आंदोलन (एचयूएम) और हिमालयी इनोवेशन ऑफ़ लैंड टू लेबोरेटरी (एचआईएलएल) शामिल हैं।

(ख): परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के आधार पर केंद्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के कौशल शिक्षा घटक के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता में कौशल प्रयोगशाला/ उपकरण स्थापित करने हेतु सहायता एवं कौशल प्रशिक्षकों, कच्चा माल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या-संबंधी गतिविधियों के लिए आवर्ती सहायता शामिल हैं। विगत पाँच वर्षों के दौरान कौशल शिक्षा घटक के अंतर्गत वर्ष-वार अनुमोदित परिव्यय/संस्वीकृत आबंटन निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**अनुमोदित परिव्यय/संस्वीकृत आबंटन (₹ लाख में)**
2022-23	₹2,286.57
2023-24	₹3,250.09
2024-25	₹6,069.62
2025-26	₹5,927.49
2026-27	₹4,603.10
